संख्या–716/चौवालिस-1/95-73/77

प्रेषक,

श्री रवीन्द्र शंकर माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(2) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित विशेष सचिव/
सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 1995

विषयः– राज्य के सार्वजनिक उद्यमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण, विदेश में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, सिपोजियम, स्कालरशिप, आदि में भाग लेने के लिए अधिकारियों के नामांकन एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को निजी/सरकारी कार्य में विदेश यात्रा की अनुमति में सामान्य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर गत कुछ वर्षों में विदेश प्रशिक्षण आदि के मामले में पार्श्वांकित

1- अर्द्ध शा०प०सं० 3604/ (ब्यूरो) 84-87 दि० 5 अगस्त, 1977
२/ अर्द्ध शा०प०सं० 1791, ब्यूरो– 73, - दि० 8 मई, 1978
3- अर्द्ध शा०प०सं० 538/ चौ०–1/84-73/77 दि० 18 अप्रैल, 1985
4- अर्द्ध शा०प०सं० 1062/ चौ०–1/85/ दि० 18 जन, 1985
5- शासनादेश सं० 214/ चौ०–1/91-6/91 दि० 21 मार्च, 1991

पार्श्वांकित शासनादेश जारी किये गये हैं, जो जो अब निष्प्रभावी हो गये हैं।

इस कारण पार्श्वांकित शासनादेशों को एतद्द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

2- अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उक्त आदेशों/निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(रवीन्द्र शंकर माथुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-- 716 (1)/44-1/95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त अनुभाग।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) सचिव, कार्मिक विभाग।

आज्ञा से,
(देवी प्रसाद साहू)
अनु सचिव।